

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH. 167493

(प्रारूप-अ)

सत्र - 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थानों की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम, चन्द्रजीत यादव एवं सविता यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव महर्षि मूलचन्द्र यादव भेमोरियल ट्रस्ट, ग्राम व घो-छिटौना, तहसील-केराकत, जौनपुर, उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं कि:-

- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा महर्षि मूलचन्द्र यादव फार्मेसी कॉलेज ग्राम व घो-छिटौना, तहसील-केराकत, जौनपुर, उत्तर प्रदेश नामक डिप्लोगा इस फार्मेसी संस्थान की स्थापना 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
- यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम ग्राम व घो-छिटौना, तहसील-केराकत, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में गाठा संख्या 1170, 1171, 1172, 1173 व 555 कुल रकमा 0. 8215 हे भूमि है।
- यह कि हमारी उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि वाद रहित है।
- यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि की के गाठा संख्या 1170, 1171, 1172, 1173 व 555 कुल रकमा 0. 8215 हे पर उपरोक्त नाम की डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.10.2018 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोगा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नवशे के अनुसार किया गया है।

ATTESTED

Sworn & Verified

Before Me,
Kartikay Kumar Singh
Date: 01/10/2023

NOTARY डिप्लोगा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Lucknow (U.P.) INDIA
Date: 01/10/2023

I know and identify the deponent who
has signed put T., before me.

8. यह कि इस संस्था में फार्मेसी फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और नहीं भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि आवश्यक परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलि-भाति पालन करेंगा। यह कि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थिरता निरोक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है, तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मेरा विचार है कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्व रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज कर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जायेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

संकेत।
ह० सचिव

५५
ह० अध्यक्ष

ATTESTED

Sworn & Verified
Before Me.

Kartikay Kumar Singh

 (Advocate)

NOVARY

Lucknow (U.P.) INDIA
Date: ५.११.२०२३

I know and identify the defendant will
has signed this before me.

